न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/07/2025 रजू दिनांकः 15.01.2025 रजि0 न0 2025/10

अपीलार्थीः–

श्री तरूण सैनी एडवोकेट, निवासी 33–एच. बैंक कॉलोनी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राज0)

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– **24.02.2025**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी/आर.टी.आई./2024/11421 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने आवेदन क्रमांक 360/24 के द्वारा दिनांक 20.09.2024 के द्वारा सूचना स्पष्ट, निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नहीं होने की सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 20.09.2024 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को पत्रांक 6009 दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से के द्वारा सूचना स्पष्ट, निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नहीं होने के कारण विनिश्चय किया जाकर सूचना से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निरतारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)